

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2014/535

दिनांक:-16/7/14

### आदेश

मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/209 दिनांक 15.05.2013 द्वारा मल्हारगंज चौमहला एवं अकलेरा योजना में सरप्लस आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किंतु आवासों का निर्धारित अवधि में निस्तारण नहीं हो पाया है।

अतः अवशिष्ट आवासों की लागत में 10 प्रतिशत की छूट देते हुए खुली बिक्री योजना में निस्तारण की स्वीकृति एतद्वारा दिनांक 30.09.2014 तक प्रदान की जाती है।


खुली बिक्री योजना से विक्रय हेतु उपलब्ध आवासों का विवरण योजनावार निम्नानुसार है :-

क. सं.	आय वर्ग	योजना का नाम	उपलब्ध सरप्लस (निरस्त/अवशिष्ट) आवासों के नम्बर	आवासों की संख्या
1.	घरोंदा	मल्हारगंज चौमहला	3/107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, व 138	29
2.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	मल्हारगंज चौमहला	3/34, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174	79
3.	अल्प आय वर्ग	मल्हारगंज चौमहला	1/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 2/01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 3/01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22	86
4.	घरोंदा	अकलेरा	2/04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 2/75, 77, 78, 79, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125,	301

			127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 3/01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 103-ए, 103-बी, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 172-ए, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186	
			कुल आवास	495


मण्डल में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को वरियता अनुसार प्राथमिकता दी जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन है।

  
(आनन्द कुमार)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक